



2026:AHC:54698

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4414/2026

रामकिशोर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: ज्ञान सिंह, सुधीर कुमार राय, सुखवीर सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., राम सनेही यादव

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुखवीर सिंह, श्री राम शेनी यादव के विद्वान अधिवक्ता की ब्रीफ होल्डर सुश्री तान्या यादव, अधिवक्ता, एवं राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री रजनीकांत राय को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 403/2025, बी.एन.एस. की धारा 85, 80(2) एवं डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना जलेसर, जिला एटा, के विचारण की लंबित अवधि में आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, तथापि मिथ्या अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान वाद में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उनका आगे कथन है कि वास्तव में विवाह के साढ़े पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी मृतका गर्भधारण नहीं कर सकी, और वह पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों के ताने से तंग आ गई थी। अतः वह गहरे अवसाद में थी और केवल इसी कारण से उसने फाँसी लगाकर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आत्महत्या कारित की थी। उनका आगे कथन है कि शव विच्छेदन आख्या से भी यही संकेत मिलता है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई।

6. उनका आगे तर्क है कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान वाद में वह 27.09.2025 से अर्थात् पिछले छह महीने से अधिक समय से कारागार में है।

7. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. एवं सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके वैवाहिक घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई है तथा चार पहिया वाहन की माँग के संबंध में प्रताड़ना का भी अभिकथन है, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई। वे इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि विवाह के साढ़े पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मृतका गर्भधारण नहीं कर सकी तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले छह महीने से अधिक समय से कारागार में है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके वैवाहिक घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई है तथा चार पहिया वाहन की माँग के लिए प्रताड़ना का भी अभिकथन है, किंतु शव विच्छेदन आख्या से संकेत मिलता है कि मृतका की मृत्यु फाँसी लगाने से हुई, अतः इस प्रक्रम पर मृतका द्वारा आत्महत्या कारित किए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

10. इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि मृतका की मृत्यु विवाह के साढ़े पाँच वर्ष पश्चात हुई, वर्तमान जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को इस प्रक्रम पर पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है।

11. इसके अतिरिक्त, आवेदक का वर्तमान वाद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.09.2025 से अर्थात् लगभग छह महीने से कारागार में है।

12. इसके अतिरिक्त, विधि में यह सुस्थापित है कि जब तक दोषसिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को न तो दंडात्मक और न ही निवारक उद्देश्य से खारिज किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. अतः उपरोक्त चर्चित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

14. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

15. आवेदक - **रामकिशोर** को उपर्युक्त वाद में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के प्रत्येक दो प्रतिभुओं पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए: –

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किए गए संप्रेक्षण केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

आशीष/-

(न्यायमूर्ति समीर जैन)